

ORDER SHEET 57A-2015Rcs

THECOURT - - - - -

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
30-11-16	<p>वादी द्वारा अधिवक्ता श्री पी.के.वर्मा उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 1 मृत। प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा अधिवक्ता श्री एन.पी.कांकर उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 3 पूर्व से एक पक्षीय। प्रकरण आज वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी पर तर्क एवं आदेश हेतु नियत है। आज दिनांक को उक्त आवेदन पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये। आवेदन पर विचार किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा आवेदन आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत वाद के अभिवचन में तकनीकी त्रुटि हैं इस कारण वादीगण उक्त वाद का वापिस लेना चाहते हैं तथा उक्त वाद कारण के आधार पर नवीन वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः वादी को उक्त वाद कारण के आधार पर नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति सहित वाद वापस करने की अनुमति प्रदान करें। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादीगण अपना वाद प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु नया वाद प्रस्तुत करने के लिए वादीगण के पास पर्याप्त आधार नहीं है। अतः वादीगण को नया वाद संस्थित करने की अनुज्ञा के बिना वाद वापस लेने की अनुमति दी जावे। उक्त आवेदन पर विचार किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने प्रस्तुत वाद उक्त वाद कारण पर नवीन वाद प्रस्तुत करने की इजाजत सहित वाद का प्रत्याहरण करने की अनुमति चाही है। वादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रारूपिक त्रुटि है। अतः वह नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता सहित वाद प्रत्याहृत करना चाहते हैं। वादपत्र के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा मृत प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद में प्रारूपिक त्रुटि है।</p>	

	<p>वादीगण ने वाद प्रत्याहृत करने की अनुमति चाही है। अतः वादी विचार आवेदन स्वीकार किया गया।</p> <p>वादी को उक्त वाद कारण पर नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता सहित वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>वादीगण द्वारा वाद वापस लिये जाने के कारण प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण में व्यय तालिका बनायी जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</p>	